



2026:AHC:181476

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या – 32049 वर्ष 2026

कृष्ण कुमार अग्रवाल एवं अन्य आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अथर्व दीक्षित, प्रणव तिवारी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 79

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन आरोप पत्र दिनांक 6.7.2019, समन आदेश दिनांक 20.12.2019 तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा पारित आरोप निर्धारण संबंधी आदेश दिनांक 30.10.2025 तथा केस क्राइम संख्या 38 वर्ष 2018, धारा 420, 406 आई.पी.सी., थाना-कोतवाली, जनपद आगरा से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 1645 वर्ष 2019 (राज्य बनाम कृष्ण कुमार अग्रवाल एवं अन्य) की अग्रेतर कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2025 को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से आवेदकगण के विरुद्ध धारा 420, 406 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को विशेष रूप से इस आधार पर चुनौती दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जो 2024 10 एससीसी 690 में रिपोर्टेड है, के मामले में निर्धारित विधि के अनुसार धारा 420 और 406 आई.पी.सी. एक ही साथ लागू नहीं हो सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, शिकायत का सामान्य पठन उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी तत्व को स्पष्ट करने में विफल रहता है। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि की एक गंभीर भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से कि यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 आई.पी.सी. में परिभाषित और धारा 406 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आई.पी.सी. में परिभाषित एवं स्पष्ट किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए तथा धारा 420 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय छल के अपराध को भी किया है।

41. मात्र संविदा के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यासभंग और छल के अपराध के बीच अंतर बहुत सूक्ष्म है। छल के मामले में, अभियुक्त की प्रेरित किए जाने के समय की मंशा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका अनुमान बाद के आचरण से लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र संविदा का उल्लंघन छल के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय से जब अपराध किया जाना कहा गया है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा अपराध का सार है।

43. आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए झूठे अथवा भ्रामक प्रतिवेदन किए जाने के समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में केवल सुपुर्दगी का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी गई होती है और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया होता है। जबकि छल के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे किसी संपत्ति को देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि पूरे देश में पुलिस अधिकारियों को विधि का उचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे छल के अपराध और आपराधिक न्यासभंग के बीच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। समान तथ्यों के समूह में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। आई.पी.सी. के दोनों प्रावधान (अब बी.एन.एस., 2023) जुड़वां नहीं हैं कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।"

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, किन्तु आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस स्थापित विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन करने में असमर्थ रहे।
5. चूंकि आवेदक की ओर से केवल विधिक तर्क प्रस्तुत किया गया है, अतः विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एतद्वारा समाप्त की जाती है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेख का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात् यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएं अर्थात् धारा 420 और 406 आई.पी.सी. एक ही साथ लागू नहीं हो सकती हैं और इस प्रकार दिनांक 30.10.2025 का आरोप निर्धारण आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।
7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1645 वर्ष 2019 (राज्य बनाम कृष्ण कुमार अग्रवाल एवं अन्य), जो केस क्राइम संख्या 38 वर्ष 2018, धारा 420, 406 आई.पी.सी., थाना-कोतवाली, जनपद आगरा से उत्पन्न है, में पारित आरोप निर्धारण आदेश दिनांक 30.10.2025 को केवल यहां आवेदकगण के संबंध में निरस्त किया जाता है। मामले को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा के पास आवेदक के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में निर्धारित विधिक सिद्धांत के आलोक में आरोप निर्धारण के संबंध में नया आदेश पारित करने हेतु वापस भेजा जाता है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

शाश्वत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।